


# Order Sheet (Subsequent)

कार्यपालक सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2023/16  
CNR NUMBER

Number of Case ..... A/09 / Year 2023

टीरकी व अन्य ..... Versus ..... श्रीमत्याल व अन्य  
U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of case of the Order
09/04/23	<p style="text-align: center;">पेश ही</p> <div style="text-align: center;">               कलक्टर              (फास्ट ट्रेक) जोधपुर         </div> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी को कोर्ट-बार रोक रोक कर आवाजे निकार गई। बावजूद अनुपस्थित रहे। जल पेशी पर भी अनुपस्थित रहे थे। अतः बहल वकील प्रार्थी सुनी गई तथा अप्रार्थी को के विरुद्ध सम्प्रीप्त कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण बहल हेतु लम्हाट द्वारा बहल वकील प्रार्थीगण प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. कार्यकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।</p> <p>एधने कोर्ट-बार, दस्तावेज पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पत्र का गहनता से अवलोकन अदम्यन किया तथा बहल वकील प्रार्थीगण पर मनन कर लगेत धिच्छिउ प्रावधानों का अदम्यन किया। प्रार्थीगण भाषिवस्ता हाल दौरान बहल अप्रार्थीगण के विरुद्ध आन्धर निषेधाना जारी किया जाने का विवेकन किया गया। प्रार्थीगण के प्रा.पत्र का अप्रार्थीगण</p>	

# Order Sheet (Subsequent)

[Redacted] सहसंचालक, [Redacted] सर एवं कार्यपालक अधिकारी  
 (फास्ट ट्रेक), जोधपुर CNR NUMBER 2023/16  
 Number of Case A/09/Year 2023  
 हरिजी व डी.पु. Versus राजपाल व 3109  
 015-212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>                             हरि कोई लिखित अथवा मौखिक                              सूचना नहीं किमागदा है वस्तुतः                              प्राचीण/वासीण हाल वाड अन्तर्गत                              धारा 53 राज. करत. अधिनियम                              वास्तु विभाजन कृति पत्र प्रस्तुत कर                              डी.पु. वाड विभाग अधीन है।                              विरुद्ध अन्वय निषेधाज्ञा दे                              निषेध किमागदा है पत्रावलीपर                              उपलब्ध वाडगत आवासी की                              पदावली/रू-अन्वय खीप पत्रावली के                              अन्वय के मद्द स्पष्ट है कि प्राचीण                              वाडगत आवासी में सह-स्वातन्त्र                              कारत कर है अतः प्राचीण के                              रू-अन्वय के रू. दि.के अनुगत                              प्रथम दृष्टया मापला, सुविधा का                              अनुत्पन्न एवं अप्रदनीय शक्ति के                              दि. प्राचीण के दि.के वड                              प्राचीण के पत्रा के (लाघित होत है)                              अतः प्राचीण का प्राचीण-का अन्वय                              धारा 212 राज. करत. अधि. 1955                              रू.कार किमागदा है तथा अन्वय                              निषेधाज्ञा विरुद्ध अधीन है। इत                              आरत की जारी की जाती है कि                         </p>	

# Order Sheet (Subsequent)

कार्यवाहक सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

2023/16  
CNR NUMBER

(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

Number of Case

A/09/ Year 2023

सीरनी व डी.ए.  
J/S-212

Versus श्यामलाल व डी.ए.  
R.T.A 1955